

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 430 / 2023

घनश्याम पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन चक 12 एम.जे.डी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

- वादी

बनाम्

1. प्रेमचंद पुत्र मनीराम
2. जयदेव पुत्र मनीराम
3. भीमराज पुत्र रामचन्द्र
4. शिमला देवी पत्नी रामचन्द्र
5. सरोज पुत्री रामचन्द्र
6. गीता पुत्री रामचन्द्र
7. एच.डी.एफ.सी. बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा हनुमानगढ़ जंक्
8. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा धौलीपाल तह. व जिला हनुमानगढ़
9. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

जाति जाट साकिन चक 12 एम.जे.डी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88,53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 3.6.2023



यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरु हमारे बहाजरी श्री कुलदीप सिंह मूण्ड अभिभाषक वादी व श्री संतोष सोलंकी, श्री खुशप्रीत सिंह संधु अभिभाषक प्रतिवादीगण मिन जामिन मुदई की उपस्थिति में वाद वादी स्वीकारात्मक जवाबदावा के आधार पर डिक्री किया जाकर वाद वादी डिक्री किया जाता है। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है कि तहसील संगरिया के चक नं. 12 एम.जे.डी. खाता सं. 66/44 से मनीराम उर्फ लिछमन राम का नाम कलमजन किया जाकर वादी घनश्याम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा चक नं. 12 एम.जे.डी. खाता सं. 63/30 में से प्रतिवादी सं. 4 ता 6 का नाम कलमजन किये जाते है। चक 12 एम.जे.डी. खाता सं. 63/30 मु.नं. 53 में किला नं. 3, 8, 13, 18, में उत्तर से दक्षिण, पश्चिम की तरफ व किला नं. 23, 24, 25 में उत्तर की तरफ पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत किया जाकर गै.मु. राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

अतः वाद वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 निम्नानुसार डिक्री किया जाकर रकमराज अलग से निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

(क) वादी घनश्याम पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन चक 12 एम.जे.डी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 12 एम.जे.डी. खाता सं. 66/44 जमाबन्दी सम्मत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
130/186	55	2/0.253 है।

कुल 0.253 है. आराजी।

चक 12 एम.जे.डी. खाता सं. 63/30 जमाबन्दी सम्मत् 2070-73

महायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
130/185	53	19/0.113 है.
130/185	53	21,22/0.253 है.प्र. 23/1/0.228, 23/2/0.025 गै.मु.रास्ता 24/1/0.228, 24/2/0.025 गै.मु.रास्ता 23/1/0.025, 24/1/0.025 है. 25/0.228, 25/1/0.025 है.
130/186	55	1,10/0.253 है.प्र., 11/0.090, चक 12 एम.जे.डी. खाता सं. 66/44 जमाबन्दी सम्मत् 2070-73
प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
130/186	55	2/0.253

कुल 2.227 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 1 प्रेमचंद पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन चक 12 एम.जे.डी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-
चक 12 एम.जे.डी. खाता सं. 63/30 जमाबन्दी सम्मत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
129/184	41	25/0.253 है.
130/184	42	19/1/0.228, 19/2/0.025, 21/0.253 है. 22/1/0.228, 22/2/0.025, 23/0.253
129/185	54	4,5/0.253 है.प्र.।
130/185	53	1/1/0.228, 1/2/0.025 है. 2/1/0.102, 2/2/0.025 है. कुल 2.151 है. मय गै.मु. कृषि भूमि।



(ग) प्रतिवादी सं. 2 जयदेव पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन चक 12 एम.जे.डी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-
चक 12 एम.जे.डी. खाता सं. 63/30 जमाबन्दी सम्मत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
130/185	53	11,12/0.253 है.प्र. 13/1/0.228 है. 13/2/0.025 गै.मु.रास्ता 14,17/0.253 है.प्र. 18/1/0.228, 18/2/0.025 गै.मु.रास्ता 19/0.140 है. 20/0.253 है.
129/185	54	16/0.253 है. कुल 2.164 है. गै.मु.कृषि भूमि।

(घ) प्रतिवादी सं. 3 भीमराज पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन चक 12 एम.जे.डी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-
चक 12 एम.जे.डी. खाता सं. 63/30 जमाबन्दी सम्मत् 2070-73


प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
130/185	53	2/1/0.114, 2/2/0.012, 3/1/0.228 3/2/0.025 गै.मु. रास्ता, 7/0.253 है. 8/0.228 है., 8/2/0.025 गै.मु.रास्ता 9,10/0.253 है.प्र.
129/185	54	6,7,15/0.253 है.प्र. कुल 2.150 है. गै.मु. कृषि भूमि।

महायक कलक्टर एवं
सप्लाइंग अफिसरी
संगरिया

इसी अनुसार खाता विभाजन किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आराजी बैंक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैंक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

निज...~~...~~निल...~~...~~मुब्लिक...~~...~~निल...~~...~~बाबत...~~...~~निल...~~...~~खर्चा मुकदमें के मय शुद बा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...~~...~~को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 3.6.2021 को जारी किया



(जय कौशिक)

सहायक क्लर्क एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया